

सनिमा और सेंसरशपि

चर्चा में कयों

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फलिम पर प्रतर्बिध लगाने की माँग करने वाली याचिका को खारज़ि कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बिना वैध कारण के अभवियक्ती की स्वतंत्रता पर लगाम नहीं लगाई जा सकती है। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय फलिम प्रमाणन बोर्ड हाल के दनिों में कई अनचाही वजहों से चर्चा में रहा है।

हालया घटनाकरम

- केन्द्रीय फलिम प्रमाणन बोर्ड ने नोबेल पुरस्कार वजिता अरथशास्त्री अमरत्य सेन की 'द आग्यरूमेटेवि इंडयिन' नामक पुस्तक पर इसी नाम से नरिमाति डॉक्यूमेंटरी फलिम में आए 'गुजरात', 'गाय', 'हदित्व' और 'हदू इंडया' जैसे शब्दों पर आपत्ता जिताते हुए कहा कि वह फलिम को तभी प्रमाणति करेगा जब इन शब्दों को नकाल या 'म्यूट' कर दिया जाए।
- इसके पहले बोर्ड ने 'लपिस्टकि अंडर माय बुरका' को यह कहकर प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया था कि फलिम 'लेडी ओरएिटेड' है और उसमें उनके सपनों एवं फतासयिों को 'जदिगी से जयादा' तवज्जो दी गई है।
- इसके पहले सेंसर बोर्ड ने कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय को नोटबंदी के प्रभावों पर बनी बांगला फलिम 'शून्योता' यानी खालीपन की भी रलीज़ रोक दी है।

क्या होना चाहयि

- यह कहना गलत नहीं होगा कि एक फलिम नरिमाता की सारी मेहनत महज केन्द्रीय फलिम प्रमाणन नामक एक संस्था के हाथ में होती है। हालाँकि सेंसर होना जरूरी भी है, कयोंकि जहाँ भारत का संवधान अभवियक्ती की आजादी देता है, वहीं यह अभवियक्ती पर उचित प्रतर्बिध की भी बात करता है। सेंसर बोर्ड को पूरा ध्यान देना होता है कि कोई भी ऐसा संदेश फलिमों के जरयि लोगों तक न पहुँचे जिससे देश की शांति भंग हो।
- हालाँकि यह सच है कि संवधान सरकार को अनुच्छेद 19 (1)(ए) में दी गई अभवियक्ती की स्वतंत्रता को राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर मतिर देशों के साथ संबंध बगिड़ने की आशंका तक कई आधारों पर सीमति करने की इज़ाज़त देता है। लेकिन यह आशंका किसी फलिम से पैदा हो सकती है या नहीं, यह तय करने का सबसे श्रेष्ठ आधार कोई फलिम प्रमाणन संस्था नहीं हो सकती। यह काम राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है जो लोगों और उनके प्रतनिधियिों के प्रतकिही सीधे तौर पर जवाबदेह होती हैं।
- केन्द्रीय फलिम प्रमाणन बोर्ड को सेंसरशपि या पुलसि का काम करने के बजाय अपना काम यहीं तक सीमति रखना चाहयि कि कौन सी फलिम किसि दर्शक वर्ग के लयि ठीक है, इसके अलावा आदर्श स्थति यह होगी कि प्रमाणन संस्था का नेतृत्व किसि ऐसे व्यक्ती के हाथ में होना चाहयि जिसकी सनिमा या कला के दूसरे माध्यमों से जुड़े लोगों के बीच कुछ प्रतषिठा हो। फलिमें सच में समाज का दर्पण तभी बन पाएगी जब प्रमाणन संस्था को राजनीति से प्रेरति नयिक्तियिों और भेदभाव से नज़ात मलिंगी।